वन विभाग हरियाणा

आवश्यक सूचना— 10

(काष्ठ आधारित उद्योग)

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा द्वारा नये लाईसैंस हेतु जो आवेदन मंगवाए गए थे तथा जिन आवेदनकर्ताओं के लाइसैंस समिति द्वारा अनुमोदित कर दिए गए थे, ऐसे सभी आवेदकों को नए लाईसैंस हेतु प्रस्ताव—पत्र जारी किए गए थे। इस विषय में सभी सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं को समिति द्वारा दिनांक 30.07.2017 को जारी की गई विज्ञप्ति द्वारा भी विस्तार से सूचित किया गया था।

अब इस विज्ञप्ति के माध्यम से ऐसे सभी आवेदनकर्ताओं को, जिनको नए लाईसैंस हेतु प्रस्ताव पत्र जारी किए गए थे तथा सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं द्वारा लाईसैंस प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई है, सूचित किया जाता है कि उन्हें काष्ठ आधारित उद्योगों के सम्बन्धित श्रेणी के लिए नए लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी द्वारा जारी करने हेतु ऑनलाईन मोड में भेज दिए गए हैं। इसकी सूचना सम्बन्धित आवेदनकर्ताओं को विभागीय वैबसाईट तथा एस.एम.एस. द्वारा भेज दी गई है। इन सभी आवेदनकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे उन्हें भेजे गए प्रारूप अनुसार शपथ—पत्र तैयार करवाकर सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी को प्रस्तुत करें तथा उसके बाद वन मण्डल अधिकारी की मोहर तथा हस्ताक्षर से जारी की गई मूल लाईसैंस की प्रति प्राप्त कर लें।

24/10/2017

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा—I, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी—18, वन भवन, सैक्टर—6, पंचकूला।